न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025 / 101

1. मूलचन्द आत्मज मन्नालाल
2. ललिता बाई पुत्री मन्ना लाल पत्नी राम लाल भील ठाकुर निवासी निमाना
3. कालीबाई पुत्री मन्नालाल पत्नी भैरू लाल जाति भील ठाकुर नि. निवासी निमाना

——अपीलांटगण

बनाम

1. जुगल किशोर पुत्र राधेश्याम भील ठाकुर
2. मुकेश पुत्र राधेश्याम भील ठाकुर निवासीगण निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. निहाल बाई उर्फ नेहा पुत्री राधेश्याम पत्नी बालमुकुन्द हाल निवासी नारायणखैडा तहसील पचपहाड जिला झालावाड
4. माया बाई पुत्री राधेश्याम पत्नी तेज सिंह हाल निवासी मोडक जिला कोटा
5. हेमलता पुत्री राधेश्याम पत्नी लालचन्द हाल निवासी सावरिया खेडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड
6. प्रेम बाई विधवा पत्नी राधेश्याम भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. कौशल्या बाई पुत्री मन्ना लाल पत्नी बजरंग लाल भील ठाकुर निवासी ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

उपस्थित वक्त बहस :—

1. श्री मेघराज सिंह शक्तावत अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पो. 1 लगा. 4, 6 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 11.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2020 / 38 (2000 / 00045) में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे प्रार्थीगण को

कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थना–पत्र में सजरा परिवार अंकित करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 की पैतृक सम्पत्ति मे वाके माल ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी के खाता संख्या 241 में स्थित खसरा नं. 57 की रकबा 0.06 है० किस्म बीड, खसरा नं. 58 की रकबा 0.28 है० किस्म बीड. खसरा नं. 66 की रकबा 0.16 है0 किस्म बीड़, खसरा नं. 67 की रकबा 0.81 है० किस्म चाही तृतीय, खसरा नं. 788 की रकबा 2.62 है० किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 795 की रकबा 1.51 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 800 की रकबा 2.62 है० किस्म माल द्वितीय कुल किता 7 की रकबा 8.06 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/30 दर्ज खाता है एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 दर्ज खाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासत मे प्रार्थीगण के स्व० पिता व पति राधेश्याम एवं स्व० राधेश्याम जी के बडे भ्राता अप्रार्थी कम 1 एवं स्व० राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 की सगी बहने अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 को प्रार्थीगण के स्व० दादा श्री मन्नालाल जी की मृत्यु के बाद विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त भूमियां स्व० मन्नालाल जी की 40 वर्ष पूर्व मृत्यु होने के उपरान्त जर्ये फौती नामान्तरण नं. 160 दिनांक 03.03.1982 को ग्राम पंचायत सातलखेडी द्वारा स्व० राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के खाते दर्ज की गई थी। प्रार्थीगण के स्व० पिता राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 दोनो सगे भ्राता है इसीलिये उनके स्व0 पिता मन्नालाल जी ने उनके जीवन काल में ही प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित भूमियों का स्व० राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 के मध्य आपसी सहमति से विभाजन कर दिया था और उस विभाजन के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 प्रार्थना पत्र की गई नं 3 में वर्णित भूमियो को हिस्सा बराबर से मौके पर कब्जे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 आधी आधी भूमि के रूप में काश्त कर रहे है। अप्रार्थी कम 1 रिटायर्ड राजकीय कर्मचारी है फिर भी उसके मन मे बदयान्ति आ गई है और वह प्रार्थीगण को खसरा नं. 800 की रकबा 2.62 है0 भूमि को जबरन काश्त नहीं करने देना चाहता है। अप्रार्थी कम 1 कहता है कि मैंने माता पिता के किया कर्म में अधिक रूपये लगाये है इसीलिये खसरा नं. 800 की रकबा 2.62 है० भूमि को में जबरन काश्त करके रहूगां और तुम्हे यह भूमि काश्त नहीं करने दूगां। इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 खसरा नं. 800 की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण से जबरन लडाई झगड़ा कर उक्त भूमि के प्रार्थीगण के हिस्से की 1/2 भाग भूमि को जबरन हांक कर उसके हिस्से में मिलाना चाहता है जिसका अप्रार्थी कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 अनुसूचित जन जाति के सदस्य है और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 स्व० मन्नालाल जी की पुत्रीयां है और स्व० राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 की सगी बहिने है जो प्रार्थीगण की रिश्ते मे सगी भुआ है इसके साथ ही प्रार्थी कम 3 लगायत 5 प्रार्थी कम 1 व 2 की सगी बहिने है एवं प्रार्थी कम 6 स्व० श्री राधेश्याम जी की बेवा है। इस प्रकार अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 व प्रार्थी कम 3 लगायत 5 विवाहिता है और वर्तमान मे अपने–अपने ससुराल में निवास कर रही है। अप्रार्थी कम 3 ने अपने पति को छोड दिया है और वह वर्तमान में अपनी मर्जी से ग्राम निमाना मे पृथक से निवास कर रही है। अनुसूचित जनजाति के

<u>अपील संख्या 2025/101</u>

<u>मूलचन्द बनाम जुगलकिशोर वगै0</u>

सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होने से एवं उनके विवाहित होने की वजह से अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 व प्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 को प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित पैतृक भूमि मे वैधानिक रूप से किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हल्का पटवारी द्वारा कानूनी मूल की वजह से स्व० मन्नालाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके फौती नामान्तरण नं. 160 में स्व० राधेश्याम जी व अप्रार्थी कम 1 के नाम के साथ अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 का नाम दर्ज कर उक्त नामान्तरण अवैध व त्रुटि पूर्वक स्वीकृत करवा लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थीगण के स्व० पिता राधेश्याम जी की वर्ष 2005 में मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके फौती नामान्तरण नं. 664/332 दिनांक 24.11.2010 मे हल्का पटवारी द्वारा कानूनी भूल की वजह से प्रार्थी कम 1 व 2 व प्रार्थी क्रम 6 के साथ प्रार्थी कम 3 लगायत 5 का नाम अवैध व त्रुटि पूर्वक दर्ज कर उक्त नामान्तरण को अवैध व त्रुटि पूर्वक स्वीकृत करवा लिया है। अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 व प्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 के हक में अवैध रूप से स्वीकृत किये गये फौती नामान्तरण नं. 160 व 664/232 प्रार्थीगण के हितो व अधिकारो के विपरीत होने से नल एण्ड वोईड व प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है। यद्यपि अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा राजस्व अभिलेख के अनुसार उसके हिस्से मे दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि को जर्ये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 03.06.2020 को प्रार्थी क्रम 2 के हक में त्याग दिया गया है अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा प्रार्थी क्रम 2 के हक में करवाया गया पंजीकृत हक त्याग पत्र वैधानिक रूप से त्रुटि पूर्ण दस्तावेज है क्योकि वैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 4 के विवाहित होने की वजह से एवं पक्षकारान् अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से विवाहिता स्त्री को पैतृक सम्पत्ति मे कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है इसीलिये अप्रार्थी क्रम 4 को किसी प्रकार का हक त्याग पत्र आलेखित कर पंजीकृत करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। जिसे पक्षकारान् ने आपसी सहमति से उपपंजीयक महोदय, रामगंजमण्डी के समक्ष जर्ये निरस्तीकरण दस्तावेज निरस्त कर दिया गया है। अप्रार्थी कम 1 अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 को भड़काकर उनके हिस्से में अवैध रूप से दर्ज चली आ रही प्रत्येक के 1/5 भाग हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करवाकर या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करवाकर प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही हिस्सा 1/2 भाग भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 के हिस्से में अवैध रूप से दर्ज चली आ रही भूमि को विक्रय करवाकर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है जिसका आप्रार्थी क्रम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है एवं अप्रार्थी क्रम। खसरा नं. 795 की रकबा 1.51 है० भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की 1/2 भाग भूमि पर पहुंचने का रास्ता बंद कर उक्त भूमि को भी हडप करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी कम 1, 2 व 6 के लिये आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी क्रम 1, 2 व 6 माननीय न्यायालय की सहायता से वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमियो के राजस्व अभिलेख मे जर्ये फौती नामान्तरण नं. 160 व 664/232 अवैध रूप से दर्ज किये गये अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 व प्रार्थी कम 3 लगायत 5 का नाम खाते से खारिज करवाकर भूमि पर मौके के कब्जे अनुसार विभाजन करवाकर व उक्त भूमियो पर पहुंचने का रास्ता कायम करवाकर प्रार्थी कगम 1, 2 व 6 स्वयं को संयुक्त रूप से 1/2 भाग भूमि का खातेदार कृषक घोषित करावे एवं बाद विभाजन उक्त भूमि के मौके पर पुनः कब्जे अनुसार

पृथक से दखल प्राप्त करे एवं उपरोक्त भूमियो का पृथक से खाता कायम कर लगान राज भी पृथक से कायम करावे। साथ ही अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करे कि प्रार्थी क्रम 1, 2 व 6 को विभाजन में प्राप्त भूमि पर उनके कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे। वाद कारण अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमियों को गत दो माह से जबरन बिकवाने की धमकीयां देने व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने से हर समय उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया बहुत ही सुदृढ केस है और सुविधाओ का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि दौराने वाद या वाद प्रस्तुति से पूर्व अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना निरर्थक हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बैय अथवा अन्य किंसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी, से करावे एवं प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे, उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे एवं भूमि के रिकॉर्ड व मौके के बाबत् यथास्थिति बनाये रखे एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त की खसरा नं. 795 की रकबा 1/2 भाग भूमि पर पहुंचने वाले रास्ते को बंद नहीं करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2025 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

<u>अपील संख्या 2025/101</u>

<u>मूलचन्द बनाम जुगलकिशोर वगै0</u>

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक वाद धारा 53, 88, 188 राज0टे०ए० का अधीनस्थ न्यायालय में मय प्रार्थना पत्र धारा 212 रा०टे०ए० का प्रस्तुत किया था, उक्त वाद मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 की पैतृक सम्पति में खाता सं० 241 में खसरा नं0 57 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 58 रकबा 0.28 हे0, खसरा नं0 66 रकबा 0.16 हे0, खसरा नं0 67 रकबा 0.81 हे0, खसरा नं० 789 रकबा 2.62 हे०, खसरा नं0 795 रकबा 1.51 हे0, खसरा नं0 800 रकबा 2.62 हे0 कुल 7 किता रकबा 8.06 हेक्टेयर आराजी स्थित है, जिसमे वादीगण का 1/30 व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज है, यह सम्पति पैतृक है जो मन्नालाल जी की मृत्य के बाद विरासत मे प्राप्त हुई है, मन्नालाल जी ने राधेश्याम व प्रतिवादी क्रम 1 मूलचन्द के पक्ष में विभाजन कर दिया था, तदनुसार वे अपने अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे है। जमाबन्दी मे इसी अनुसार अंकन हो रहा है, जिसे प्रतिवादी क्रम 1 विक्रय अन्तरण करना चाहता है, लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त कथनो से इन्कार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस, अपरिमित हानि मान कर उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जब कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जो तारीख नियत की उस दिन फैसला पारित नहीं किया, और मनमाने रूप से फैसला किया है। उक्त जमीन मे प्रतिवादी जुगल किशोर का हिस्सा 1/30 बनता है, न्यायालय ने इस पर कतई गौर नही किया, उक्त जमीन अपीलान्ट की हिस्सा 11/5 है, उक्त पूरी जमीन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया, जबकि विवादित भूमि मे उसका हिस्सा 1/30 है, जिसमे खसरा नं0 57, 58, 66, 67, 788, 795, कुल 7 किता की 8.06 हे0 भूमि खातेदार राधेश्याम के कायम मुकाम होने से 6 हिस्सा होने से जुगल किशोर का 1/30 हिस्सा बनता है, परन्तु जुगल किशोर ने बदयान्ती पूर्वक अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य बता कर स्थगन प्राप्त किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपीलांटगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त आराजी मन्नालाल के खाते की भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 मन्नालाल के पुत्र मृतक राधेश्याम में वारिसान अर्थात मन्नालाल के पौत्र व पौत्रीयां है। वादग्रस्त आराजी में राधेश्याम के वारिसान होने की हैसियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा निहित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से के खातेदार है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 तथा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी में अपने त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि अपीलांटगण एवं अन्य अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा खुर्द–बुर्द कर देते है तो प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का वाद पेश करना निरर्थक हो जावेगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलांटगण एवं अन्य अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में निहित 1/30 हिस्से के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने तथा पहूंच मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 12.02.2025 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 57, 58, 66, 67, 788, 795, 800 कुल किता 7 रकबा 8.06 हैक्टेयर आराजी के सम्बंध में स्वयं के तथाकथित 1/5 हिस्से की भूमि का रहन, बेचान नहीं किए जाने एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपीलांटगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपीलांटगण को विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना ही बेचान करने पर आमादा है। उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। हमारे मत में संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में समान रूप से निहित होता है। अतः ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.02.2025 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अपील संख्या 2025/101

मूलचन्द बनाम जुगलकिशोर वगै0

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2020/28(2000/00045) में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 निरस्त किया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा